



प्रेसनोट, दिनांक 11.09.2025

थाना अचलगंज, जनपद

उन्नाव ।

लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 01.08.2025 को थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 399/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 11.09.2025 को उ0नि0 श्री ऋषि कपूर मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित वांछित अभियुक्त जीवन पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम रायपुर सातन (जमेल) थाना अचलगंज जनपद उन्नाव को लाऊखेड़ा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. जीवन पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम रायपुर सातन (जमेल) थाना अचलगंज जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ऋषि कपूर

2. का0 कपिल कुमार नागर





प्रेसनोट, दिनांक 11.09.2025
थाना माखी, जनपद उन्नाव ।

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना माखी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दि० 08.09.2025 को थाना माखी क्षेत्रांतर्गत रऊकरना चौराहे से वादी श्री सुमित पुत्र राजाराम गुप्ता निवासी ग्राम पूरानिस्फपंसारी थाना माखी जिला उन्नाव की दुकान के पास से उसकी मोटरसाइकिल UP 35 BB 2350 चोरी होने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-381/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर दर्ज किया गया । आज दिनांक 11.09.2025 को माखी से पूरा जाने वाले रास्ते पर शारदा नगर पुल के पास से वाहन चेकिंग के दौरान उ०नि० श्री अजय कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ अभियुक्त विशाल यादव पुत्र राजकुमार नि० सराय थोक माखी थाना माखी जनपद उन्नाव उम्र 22 वर्ष को चोरी की मोटरसाइकिल UP 35 BB 2350 के साथ गिरफ्तार किया गया ।

नाम पता अभियुक्त-

विशाल यादव पुत्र राजकुमार नि० सराय थोक माखी थाना माखी जनपद उन्नाव उम्र 22

बरामदगी- चोरी की मोटरसाइकिल UP 35 BB 2350

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री अजय कुमार सिंह
2. हे०का० अलाउद्दीन
3. हे०का० संजय कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 11.09.2025

थाना गंगाघाट, जनपद

उन्नाव।

25-25 हजार रुपये के इनामिया दो शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार, लूट के 01 लाख 05 हजार रुपये व दो अवैध तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा 25-25 हजार रुपये के इनामिया दो शातिर लुटेरों को पुलिस मुठभेड़ मे गिरफ्तार किया गया तथा लूट के 01 लाख 05 हजार रुपये व दो अवैध तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस व 02 खोखा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 09.09.2025 को मुकदमा वादी श्री राकेश शुक्ला पुत्र स्व० छुन्नू लाल शुक्ला निवासी ब्रम्हनगर बम-2 चौराहा थाना गंगाघाट जिला उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पुलिस को सूचना दी गई कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर मे घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना की गई है। इस सूचना पर थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 549/2025 धारा 309(6) बीएनएस तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1.नन्हकऊ यादव उर्फ विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम निवासी 16/697 जेल रोड वार्ड 14 मेंथा पुरे कप्तान का पुरवा रायबरेली, 2.दीपक पुत्र सहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावां रायबरेली, 3.संत बहादुर उर्फ बडकऊ पंडा पुत्र विजय बहादुर निवासी टिकैतगंज थाना डलमऊ रायबरेली, 4.राजू पुत्र हफीज निवासी ग्राम गुट कुसहन थुलेण्डी थाना बछरांवा जनपद रायबरेली व 5.रामू पुत्र गुरुप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना बछरांवा जनपद रायबरेली का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 310(2) बीएनएस का अपराध पाये जाने के कारण धारा 309(6) बीएनएस को धारा 310(2) बीएनएस में तस्मीम किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त पर 25-25 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया गया था। दिनांक 10.09.2025 को अभियुक्तगण 1.राजू पुत्र हफीज निवासी ग्राम गुट कुसहन थुलेण्डी थाना बछरांवा जनपद रायबरेली व 2.रामू पुत्र गुरुप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना बछरांवा जनपद रायबरेली को त्रिभुवन खेडा चौराहे के पास ग्राम लखापुर के जंगल में चौकी क्षेत्र जाजमऊ में सडक के किनारे से पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण के कब्जे से 01 लाख 05 हजार रुपये नगद, 02 अदद तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर, एक अदद मोबाइल की पैड, घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल यूपी 33 बीई 7576 बरामद किया गया। पुलिस मुठभेड व बरामदगी नाजायज असलहा के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में 109 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट की बढोत्तरी की गई।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. रामू पुत्र गुरुप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना बछरांवा रायबरेली उम्र करीब 40 वर्ष
2. राजू पुत्र हफीज निवासी थुलेण्डी थाना बछरांवा रायबरेली उम्र करीब 41 वर्ष

बरामदगी-

1. एक लाख पांच हजार रुपये नगद
2. 02 अदद तमंचा .315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस .315 बोर
3. एक अदद मोबाइल की पैड
4. घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल यूपी 33 बीई 7576

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त राजू पुत्र हफीज निवासी ग्राम थुलेण्डी थाना बछरांवा जनपद रायबरेली

1. मु0अ0सं0 09/2017 धारा 323/427/504/506 भादवि व 3(1)X एससी एसटी एक्ट थाना बछरांवा जनपद रायबरेली
2. मु0अ0सं0 746/2018 धारा 3/5ए/8 गौ हत्या अधिनियम थाना बछरांवा जनपद रायबरेली
3. मु0अ0सं0 25/2019 धारा 2/3 यूपी गैगस्टर एक्ट थाना बछरांवा जनपद रायबरेली
4. मु0अ0सं0 549/2025 धारा 310(2)/109 बीएनएस व 3/25 आर्मस एक्ट थाना गंगाघाट, उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 अजय कुमार सिंह
2. उ0नि0 गजेन्द्र सिंह
3. हे0का0 शिवराज सिंह
4. का0 सौरभ कुमार
5. का0 विश्वजीत भारती
6. का0 शिवम कुमार
7. का0 तरुण कुमार
8. का0 रजनीश यादव